7. श्रीमती सीता पत्नी श्री नीरज निवासी मियापुर ब्लॉक बसली अधीर जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में संलग्न सहमति प्रपत्र में यू.पी.वि.वी. पॉजिटिव है या निम्नितित इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। दिनांक 17.11.2016 को लाभार्थी की नसबन्दी हुई है तथा दिनांक 12.06.2017 को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 31 week and 8 Days की लाभार्थी गर्भवती हुई है। अतः नसबन्दी की तिथि एवं अल्ट्रासाउंड की तिथि के मिलने के समावेश है कि नसबन्दी के समय लाभार्थी गर्भवती थी।

8. श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री मदनलाल निवासी पत्साल तहसील फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में संलग्न सहमति प्रपत्र में यू.पी.वि.वी. पॉजिटिव है या निम्नितित इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। दिनांक 20.01.2017 को लाभार्थी की नसबन्दी हुई है तथा दिनांक 20.05.2017 को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 22 week and 3 Days की लाभार्थी गर्भवती हुई है। अतः नसबन्दी की तिथि एवं अल्ट्रासाउंड की तिथि के मिलने के समावेश है कि नसबन्दी के समय लाभार्थी गर्भवती थी।

9. श्रीमती रूपवती पत्नी श्री कपुर सागर निवासी 48/343 लोहमड़ी खेतना जनपद आगरा के में संलग्न अभिलेखों से असफल नसबन्दी उपरान्त लाभार्थी को जतिता हुई है, साक्ष्य संलग्न नहीं है तथा जनपद सतर्क समिति के प्रमाण पत्र गर्भधारण की संस्तुति की गई है गर्भधारण के नहीं।

13. बिजनौर—
जनपद बिजनौर से वर्ष 2015-16 में गर्भधारण के 04, वर्ष 2016-17 में गर्भधारण के 06 एवं वर्ष 2017-18 में गर्भधारण के 01 कुल 11 दावा प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षण परामर्श 11 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया। शेष 01 दावा प्रपत्रों में कमियों पाई गयी, जिसका विवरण निम्नवत है—

वर्ष 2015-16

1. श्रीमती रीता पत्नी श्री कंचना निवासी ग्राम खानझुहपुर बहादर जनपद बिजनौर के क्लेम फार्म पर वाइटनर लगा हुआ है तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

14. गाजीपुर—
जनपद गाजीपुर से वर्ष 2016-17 में गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2017-18 में गर्भधारण के 06 कुल 07 दावा प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षण परामर्श 07 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 07 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

15. इटावा—
जनपद इटावा से वर्ष 2015-16 में गर्भधारण के कुल 19 दावा प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षण परामर्श 19 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया। शेष 09 दावा प्रपत्रों में कमियों पाई गयी, जिसका विवरण निम्नवत है—